100

संख्या– 36 /xxxvi/2016/68(1)/2015

प्रेषक

जय देव सिंह
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
राज्य विधि एवं परिसीमन आयोग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग **देहरादूनः दिनांक 04 फरवरी, 2016**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य विधि एवं परिसीमन आयोग, उत्तराखण्ड के अधिष्ठान हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सदस्य सचिव, राज्य विधि एवं परिसीमन आयोग,उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांकः /11 B/रा0वि0एवं परि0आयो0/2015 दिनांक 30–12–2015 के सन्दर्भ में वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 400/xxvii(1)/2015 दिनांक 01–4–2015 तथा शासनादेश संख्याः 1336/xxvii(1)/2015 दिनांक 17 नवम्बर, 2015 के क्रम में राज्य विधि एवं परिसीमन आयोग का अधिष्ठान मद के अन्तर्गत 15 गाड़ियों का अनुरक्षण ओर पैट्रोल की खरीद मद की कुल बचत रू0 5,65,000–00 (पांच लाख पैंसठ हजार मात्र) की धनराशि का स्थानान्तरण पुर्नविनियोग मानक मद, 07 मानदेय में संलग्न **आई0डी0 संख्याः–R 1601070382** दिनांक 23 जनवरी, 2016 के अनुसार करते हुए निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1– उक्तवत् स्वीकृत धनराशि का आय– व्ययक आंवटन आदेश अलग से जारी किया जायेगा।

2– वचनवद्व मदों में स्वीकृत आय–व्ययक सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को इस प्रतिबन्ध के साथ उपलबध करा दिया जाय कि इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जाय और न अधिक व्यय भार सृजित किया जाय।

3– अधिष्ठान सम्बन्धी अन्य अवचनवद्व मदों में स्वीकृत आय –व्ययक सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को इस प्रतिबन्ध के साथ उपलबध करा दिया जाय कि इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाय तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जाय एवं न अधिक व्ययभार सृजित किया जाय।

4– पूर्व माह के व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–8 में अंकित कर प्रत्येक माह विलम्बतम 07 तारीख तक शासन को उपलब्ध करायी जाय।

5– उक्त धनराशि का आंवटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देते हैं जिन मामलों में बजट मैनुवल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृतियां अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।